राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर

ई मेलः—mrh.sap@gmail.com

क्रमांक 26

दिनांक 04-4-2018

खुली निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की ओर से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासित बालक—बालिकाओं के लिये निम्न सेवा के लिये मुहरबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है:—

क्र.सं.	NITसं.	सेवा का विवरण मात्रा	अवधि	अनुमानित लागत	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अन्तिम तिथि	भरे हुए निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
	3/2018—19	जॉब बेसिस पर सुरक्षा कार्य व्यवस्था हेतु **10** सुरक्षाकर्मी विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह एवं समस्त परिसर का सुरक्षा कार्य।	एक वर्ष	950000	19000	19.04.2018 5 PM	20.04.2018 12 PM	20.04.2018 4 PM

निविदा प्रपत्र 200/— नकद जमा करा कर कार्यालय समय में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 19.04.18 को 5 PM तक प्राप्त किये जा सकते है। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट sppp. rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय समय में कार्यालय में देखा जा सकता है।

नोटः—1. एक बार जमा कराया गया निविदा शुल्क लौटाया नही जायेगा।

2. निविदा प्रपत्र वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.inएवं विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र का भुगतान निविदाये जमा कराते समय साथ में दिया जावें अन्यथा निविदा फार्म रदद कर दिया जायेगा।

अधीक्षक

क्रमांक 27-34

दिनांकः— 04-04-2018

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र जिसका प्रसारण 50,000 प्रतियां या अधिक हो एवं एक क्षैत्रीय समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित करावें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान निजी सचिव,निदेशक महोदय निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर।
4.
5. श्रीमान् उपनिदेशक (जयपुर शहर), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पटेल मार्ग, मानसरोवर जयपुर, राजस्थान।
6. ACP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट sje. rajasthan.gov.in पर अप लोड करवाने का श्रम करें।
7. नोटिस बोर्ड
8. कार्यालय नोटिस बोड

अधीक्षक

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह

जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर

निविदा फार्म (बोली डाटा शीट) ई मेल:– mrh.sap@gmail.com

निविदा फार्म

1. सुरक्षा व्यवस्था के लिये निविदा

2 .निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व ड़ाक का पता..

3.सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक 03/2018–19 दिनांक 04.04.2018...

4.निविदा शुल्क की राशि 200 नकद रसीद संख्या........................दिनांक.............. के द्वारा जमा करवा दी गयी है।

5.हम ....अधीक्षक मानसिक विमंदित गृह द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या .... दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्ठो पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

क्र.स.	कार्य का विवरण	कुल मासिक दर प्रति सुरक्षा कर्मी (मय समस्त करों ई.एस.आई., पी.एफ. एवं आनुषगिक प्रभारों के विवरण सहित)	शुद्ध मूल्य अनुमानित (10 सुरक्षाकर्मियों हेतु)	विवि
1.	जॉब बेसिस पर सुरक्षा कार्य व्यवस्था विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह एवं उसके परिसर की (अनुमानित संख्या 6 पुरूष 4 महिला)	(प्रत्येक सुरक्षा कार्मिक के लिये) पारिश्रमिक .... पी.एफ.................... ई.एस.आई.............. सर्विस चार्जेज............... अन्य आनुषगिक प्रभार.. कुल राशि रू. अंको में................. शब्दों में.................		सुरक्षा कार्य 24 घण्टे किया जायेगा। जिसमें अधीक्षक द्वारा निर्धारित मात्रा में महिला एवं पुरूष मेन पावर लगायी जायेगी।

6.फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

7.ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज में कोई त्रुटि/असत्यता पाई जावेगी तो विभाग को निविदा अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

8.बयाना राशि रूपये 19000/–अक्षरे उन्नीस हजार मात्र के पेटे बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैंक संख्या..............................जो बैंक का नाम..पर

आहरित किया गया है/नकद रसीद संख्या............................./चालान संख्या......................
और दिनांक...........................रूपये..........................संलग्न है।

9.इस के साथ आयकर विवरणी प्रस्तुत करने का विवरण पत्र प्रस्तुत है।

1.आयकर स्थाई खाता संख्या...

2.सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या... दिनांक...........................

3.संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की पंति यंलग्न करे)

1.

2.

3.

4.

5.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली, केमवे गोल्फ रिसोर्ट के सामने आगरा रोड़,जयपुर
निविदा फार्म (बोली डाटा शीट) ई **esy%&mrh.sap@gmail.com**

क्रमांक

दिनांक

निविदा आमंत्रण सूचना– 03/2018–19

राज्यपाल महोदय की ओर से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासित विमंदित बालक एवं महिलाओं के लिये एक वर्ष की अवधि के लिये निम्न कार्यो/आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते आदि इस कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर कार्यालय कार्य दिवस में दिनांक 19.04.2018 को सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) के बिना जमा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	निविदा शुल्क	बयाना राशि
1	जॉब बेसिस पर सुरक्षा कार्य व्यवस्था हेतु **10** सुरक्षाकर्मी विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह एवं समस्त परिसर का सुरक्षा कार्य।	950000 रू.	200 रू.	19000 रू.

भरी हुई निविदायें दिनांक 20.04.2018 को दोपहर 12.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में जमा करायी जा सकती है। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदायें दिनांक 20.04.2018 को समय 4.00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। अपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगां।

अधीक्षक

प्रतिबन्ध एवं शर्ते

टिप्पणीः—निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहियें तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनका पूर्ण रूपण पालन करना चाहियें।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहर बन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये।
2. निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है उसके बिना निविदा पर विचार नही किया जावेगाः—
   a) श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र, ई.एस.आई./पी.एफ. पंजीयन का प्रमाण—पत्र
   b) अनुभव प्रमाण पत्र
   c) सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र
   d) बयाना राशि
3. व्यक्ति/संस्थां/फर्म द्वार प्रस्तुत निविदाओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
4. ठेकेदार को अनुमानित लागत रू 950000/— का 2 प्रतिशत राशि रू 19000/— बयाना राशि(अर्नेस्टमनी) बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैंक के द्वारा अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. फर्म को किसी राजकीय कार्यालय में दो वर्षो का संतोषप्रद सेवा का अनुभव हो। जिसका अनुभव प्रमाण प्रत्र, संबंधित विभाग के सक्षम प्राद्यिकारी द्वारा जारी किया गया हो, निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेंगा। अनुभव प्रमाण पत्र 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा।
6. गृह की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सेवा निवृत्त/भूतपूर्व सैनिक/पुलिस/होमगार्ड उपलब्ध करवाने वाली फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी। जिसके लिए अन्तिम निर्णय क्रय समिति का होगा।
7. फर्म आदि के गठन को किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/ संस्था द्वारा दी जावेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नऐ भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में स्वीकार नहीं किया जावेगा। जबकि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृत के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए प्र्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।
8. निविदादाता द्वारा दरे उचित स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनो में लिखनी चाहिये। निविदा के प्रत्येक पृष्ट एवं कांट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किए जाने पर अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र स्याही या टंकण से भरा जावेगा।
9. मोहर बंद निविदा प्रपत्र मय बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि 19000/— (अक्षरे उन्नीस हजार मात्र) दिनाक 20.04.2018 को दोपहर 12:00 बजे तक अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जयपुर के कार्यालय में रखे हुए टेण्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहिए। निविदा दिनांक 20.04.2017 को 04:00 बजे खोली जावेगी।
10. **विधि मान्यताः** निविदाऐ उनके खोले जाने के दिनांक से 3 माह की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

11. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उसे भाडे(सबलेट) पर नहीं देगा।
12. निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
13. असफल निविदादाताओं को बयाना राशि निविदा स्वीकृत होने के पश्चात शीघ्र वापस कर दी जावेगी।
14. करार एवं प्रतिभूतिः–

i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धरित प्रारूप में एक करार 500/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिए निविदाए स्वीकार की गयी है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभुति जमा करानी होगी। यह प्रतिभुति प्रेषण के उस दिनांक से उसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि प्रतिभुति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगाा। प्रतिभुति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम नही होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

iV प्रतिभुति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें:–

(क) बैंक डाफ्ट/ बैंकर्स चैक/चालान की रसीद प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जावेगा।

(ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिए राष्टीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्टीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट / विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण प्रत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू)पर स्वीकार किया जावेगा।

V करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जावेगी।

vi प्रतिभुति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नहीं है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

15. बयाना राशि का समपहरण बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों मे समपहत कर लिया जायेगाः–

i जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें उपान्तरण करता है।

ii जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हों।

iii जब निविदादाता ठेके के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभुति राशि जमा नही कराता हो।

iV जब तक विहीत समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

16. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में समपहत कर लिया जावेगाः–

i जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढ़ग से करने के असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

17. ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

18. ठेका की अवधि एक वर्ष तक मान्य होगी। सुरक्षा कार्य सन्तोषजनक पाया जाने पर अधिकतम 6 माह के लिए उन्ही दरों पर बढ़ाया जा सकेगा, जिसके लिए संवेदक बाध्य होगा। 6 माह की अवधि के बाद पारस्परिक सहमति से 6 माह की अवधि और बढ़ायी जा सकेगी।

19. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में या अन्य कोई त्रूटि पायी जाने पर निविदा को रद्ध करने का अधिकार अधीक्षक को होगा।

20. सरकार द्वारा विहीत सभी कर नियमानुसार देय होगें। सभी करों की रसीद की छायाप्रति कार्यालय में जमा करवानी होगी।

21. भुगतानः—भुगतान अग्रिम नही किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

22. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

23. क्रय समिति को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बतलाये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन कार्यो के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने का अधिकार क्रय समिति के पास आरक्षित रखेगा।

24. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लेख के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

25. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थिक किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार)द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी।

26. ठेकेदार द्वारा संस्था भवन में पूर्ण सुरक्षा रखनी होगी, सुरक्षा की व्यवस्था के लिए अधीक्षक द्वारा दिए गये समस्त आदेशों की पालना ठेकेदार द्वारा की जावेगी।ठेकेदार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था तीन पारियों में 8—8 घंटे सुरक्षा कर्मियों को लगा कर 24 घंटे एवं 365 दिन करवायी जायेगी। महिला विंग के लिये 4 महिला सुरक्षा कर्मी तथा बालक विंग में 3 पुरूषकर्मी एवं मुख्य द्वार के लिये 3 पुरूष सुरक्षा कर्मी से सुरक्षा व्यवस्था का कार्य करवाना होगा। जिसे आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जा सकता है।

27. संस्था परिसर में से किसी भी प्रकार के सामान की चोरी होने पर, कार्यालय सामान के बाहर जाने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी तथा सामान के मूल्य की वसूली संवेदक से की जायेगी।

28. **ड्यूटी पर कार्यरत गार्ड तथा फर्म के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही बरतने/गलत मनतवय के कारण आवासी पलायन के लिये पुलिस में एफ.आई.आर. करवायी जायेगी। जिसमें निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ब्लेक लिस्टेड किए जाने की भी कार्यवाही होगी।**

29. ठेकेदार द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को नियमानुयार न्यूनतम मजदुरी का भुगतान करना होगा। यदि न्युनतम मजदुरी से कम का भुगतान करने की शिकायत प्राप्त होती है तो ठेकेदार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

30. सुरक्षा कार्य को करते समय यदि किसी सुरक्षाकर्मी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिए मुआवजा आदि देने का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा।

31. प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संवेदक द्वारा दो प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने पर बिल कोषालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कोषालय द्वारा बिल पारित करने पर भुगतान किया जायेगा।

32. ठेकेदार फर्म को कार्य आदेश दिए जाने के बाद यदि नियमानुसार पी. एफ. तथा ई. एस. आई. देय है तो एक माह में कार्मिकों के पी. एफ. ई.एस.आई. नम्बर उपलब्ध करवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसमें कार्य आदेश निरस्तीकरण भी शामिल होगा।

33. ठेके की अवधि में यदि सुरक्षा कर्मियों द्वारा हड़ताल की जाती है तो सुरक्षा कार्य बाधित होता है तो विभाग द्वारा संवेदक के रिस्क व कोस्ट पर अपने स्तर पर सुरक्षा कार्य अन्य ठेकेदार से करवा सकेगा। इसमें जो राशि व्यय होगी वह राशि ठेकेदार को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गयी अमानत राशि में से समायोजित कर ली जवेगी।

34. सुरक्षा व्यवस्था में लगे कर्मियों को उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, जो मुख्य द्वार पर कार्यरत सुरक्षा कर्मी के पास रहेगी। ठेकेदार द्वारा नियुक्ति से पुर्व सुरक्षा कर्मियों के निवास/स्थायी पते का पुर्ण विवरण उपलब्ध कराना होगा एवं अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र अथवा उनकी फोटो सहित उपलब्ध कराना होगा। बिना पहचान पत्र संस्था में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का पुलिस सत्यापन दस्तावेज उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

35. फर्म द्वारा सुरक्षाकर्मियों को निर्धारित यूनिफार्म नीली पेंट तथा नीला चेक शर्ट, काले जूते, टोपी तथा आई.कार्ड पहनना अनिवार्य होगा। महिला गार्ड को नीली साड़ी, नीला चेक का ब्लाउज अथवा नीली सलवार, नीली चेक की कमीज तथा नीला दुपट्टा अनिवार्य होगा एवं समस्त सुरक्षाकर्मियों को आई.कार्ड एवं निर्धारित यूनिफार्म के साथ ही ड्यूटी पर आना अनिवार्य होगा। जिस पर फर्म का नाम अंकित होगा। सर्दियों में नीली जर्सी पुरूष गार्ड हेतु तथा नीला कार्डिकन महिला गार्ड हेतु अनिवार्य है अन्यथा शर्त संख्या 36 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

36. सुरक्षा कार्य में किसी प्रकार की चूक के लिए अथवा प्राधिकार के लिएं विभाग किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा एवं इस बाबत वाद /क्लेम विभाग के उपर दायर नहीं किया जायेगा, फिर भी अगर कोई दायित्य आता है तो ठेकेदार के बिल से कटौती कर ली जयेगी। सुरक्षा कार्य अच्छा नही होता है तो अधीक्षक द्वारा गठित

निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट पर प्रत्येक निरीक्षण में पायी गयी कमी के लिए 1000/– कम करके बिल का भुगतान किया जायेगा। निर्धारित मात्रा में सुरक्षा कर्मी उपलब्ध नहीं करवाने/यूनिफॉर्म/समस्त सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने पर देय भुगतान में नियमानुसार कटौती की जयेगी।

37. उपलब्ध करवाये जाने वाले सुरक्षाकर्मी स्वस्थ, योग्य एवं प्रशिक्षित होने चाहिये। प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों के लिये सेवानिवृत्त सैनिक/पुलिसकर्मी/होमगार्ड आदि को प्राथमिकता दी जावेगी।

38. प्रत्येक कार्मिक को राज्य/केन्द्र सरकार के नियमानुसार श्रमिकों को देय वेतन, ई.एस. आई., पी.एफ. आदि सुविधाओं को देने का उत्तरदायित्त्व संवेदक फर्म का होगा। अतः फर्म तद्नुसार ही अपनी दरें प्रस्तुत करे।

उपरोक्त सुरक्षा कार्य संबंधी शर्ते, मैनें/हमने पढ ली है, ओर यह शर्ते मुझे/ हमें स्वीकार्य है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)